

**बिहार सरकार**  
**गृह विभाग**  
**अभियोजन निदेशालय**  
मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-15

**अधिसूचना**

संचिका संख्या अ0नि0 (01) 51/2024/स्था0...2121....., पटना, दिनांक...06-10-25

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा - 20 (1) की उपधारा (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय का गठन किया जाता है।

2. प्रत्येक जिला अभियोजन निदेशालय में 01 (एक) उप निदेशक एवं 01 (एक) सहायक निदेशक होंगे, जिनकी सहायता के लिए 02 (दो) अभियोजन पदाधिकारी होंगे तथा प्रत्येक जिला अभियोजन निदेशालय में 01 (एक) निम्नवर्गीय लिपिक होंगे।

3. उप निदेशक, जिला अभियोजन निदेशालय के प्रधान होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में दी गई शक्तियों के अनुरूप कार्यों का निर्वहन जिला अभियोजन निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

4. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुधांशु कुमार चौबे)  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक अ0नि0 (01) 51/2024/स्था0...2121.....

दिनांक...06-10-25...

**प्रतिलिपि :-** महालेखाकार, बिहार, पटना/गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना का ई-गजट कोषांग एवं आई.टी. मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव